न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 35/2020

GCMS No. 2020/00093

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः—**
चैनसिंह बनाम जोरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली		1. सुरजसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढारिया 2. सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति —

श्री मांगीलाल प्रजापत अभिभाषक प्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांकः— 7.2.24

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 11/2004—05 संकल्प संख्या 9 दिनांक 11.12.2004 की पालना में अप्रार्थी सुरजसिंह पुत्र मगसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7661 दिनांक 11.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को वास्ते बहस पुर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित नही रहने से प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ढारिया में प्रार्थी के पिता जोरसिंह का पुश्तैनी 50 वर्षो से कब्जाशुदा भुखण्ड आया हुआ है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व उसके परिवार वाले कर रहे है, जिसका पडौस उत्तर में 70 फुट पड़त भुमि, दक्षिण में मालमसिंह, पुर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में सीसी सडक आयी हुयी हैं। प्रार्थी के भुखण्ड के उत्तर में पडत भुमि खसरा नम्बर 450 रकबा 1.59 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ओरण आयी हुयी हैं जो चारागाह हेतु आरक्षित भुमि है, जो प्रतिबंधित श्रैणी की भुमि होने सें ग्राम पंचायत ढारिया को किसी के पक्ष में पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत ढारिया ने अप्रार्थी सुरजसिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने कि नियत से पंचायती राज नियमों का उलंघन करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है इस संबंध में कोई प्रस्ताव है न कोई मिसल संधारित हुई है न कोई आज्ञापक कार्यवाही की गई है अप्रार्थी की ओर से न तो कोई आवेदन पेश किया गया न ही कोई नक्शा बनाने हेतु शुल्क जमा कराया गया, न ही कोई मिसल ही कायम की गई, न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया न ही आपत्ति सूचना पत्र जारी किये गये न ही गवाहान की साक्ष्य ली गई न नियमितीकरण बाबत कोई प्रस्ताव लिया गया अर्थात किसी प्रकार की कोई आज्ञापक प्रक्रिया नही अपनाई गई है जिससे भी निगरानीग्रस्त प्रस्ताव मय पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि नही होकर ग्राम ढारिया की ओरण भूमि है। ओरण भूमि में किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया जा सकता है जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे की पुश्त पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नही किए हुए है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पचांयत ढारिया द्वारा संकल्प संख्या 9(9) दिनांक 11.12.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 7661 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त फरमावें।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड एवं पत्रावली के संलग्न ग्राम ढारिया पटवार हल्का ढारिया की जमाबंदी संवत 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गै.मु.ओरण है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका आवासीय पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रक्रिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। पत्रावली के संलग्न सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी की जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की भूमि गै.मु.ओरण है जो आबादी भूमि नही होकर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 11 / 2004–05 सकंल्प संख्या 09(9) दिनांक 11.12.2004 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7661 दिनांक 11.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली